न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 13.02.2017
G.C.M.S. NO. :_ 2017/00016

1–मृत्तक नन्दकेश्वर पिता गोरीशंकर के बजाएः–
- 1/1–दिनेश कुमार पिता नन्दकेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
- 1/2–कैलाश पुत्री नन्दकेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
- 1/3–सुन्दरबाई पत्नि नन्दकेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2–भैरूलाल पिता मगनीराम जाति ब्राह्मण, निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकारगण

बनाम

1–देवीलाल पिता मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2–ग्राम पंचायत लेसवा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 द्वारा ग्राम पंचायत लेसवा

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकारगण

प्रकरण संख्या 09/2017 (नि.पं.)
मृत्तक नन्दकेश्वर पिता गोरीशंकर ब्राह्मण के बजाएः-दिनेश कुमार पिता नन्दकेश्वर ब्राह्मण निवासी पारलिया, तहसील भदेसर वगैरा बनाम देवीलाल पिता मोती लाल ब्राह्मण निवासी पारलिया, तहसील भदेसर वगैरा

निर्णय

दिनांक 22.08.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी निः शुल्क पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। निगराकारगण ने खातेदार शंकरलाल पिता ब्रदीलाल ब्राह्मण से मौजा पारलिया की नवीन आराजी संख्या 346 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से एक बाड़ा जिसकी साईज पूर्वी भुजा 70 फीट, पश्चिमी भुजा 100 फीट, उत्तरी भुजा 70 फीट एवं दक्षिणी भुजा 78 फीट, का खरीद कर काफी अरसे से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिसकी लिखा-पढ़ी नहीं होने से विक्रेता शंकरलाल ने दिनांक 13.01.2017 को एक इकरार नामा भी निष्पादित कर निगराकारगण को कब्जा सिपुर्द किया व निगराकारगण उक्त बाडे पर काबिज हो उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं फिर भी गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से मिलीभगत करते हुए आराजी नम्बर 346 से लगती हुई रास्ते की भूमि पर आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 14.07.1983 को जारी करवा लिया पूर्णतया अवैध होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी निः शुल्क पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् गैर निगराकार संख्या 1 तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर ने उक्त पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकारगण सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि मौजा पारलिया, तहसील भदेसर के नवीन आराजी नम्बर 346 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से एक बाड़ा जिसकी पूर्वी भुजा 70 फीट, पश्चिमी भुजा 100 फीट, उत्तरी भुजा 70 फीट एवं दक्षिणी भुजा 78 फीट होकर निगराकारगण ने खातेदार शंकरलाल पिता ब्रदीलाल ब्राह्मण से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसकी लिखा-पढ़ी नहीं होने से विक्रेता शंकरलाल ने दिनांक 13.01.2017 को एक इकरार नामा भी निष्पादित कर निगरकारगण को कब्जा सिपुर्द किया व निगराकारगण उक्त बाडे का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। तथा उक्त बाडे में आने-जाने का रास्ता आबादी हल्के की तरफ पश्चिम दिशा में है जिसका निगराकार उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। नवीन आराजी नम्बर 346 रकबा 0.17 हैक्टेयर का फ्रन्ट आबादी हल्का की तरफ ही है फिर भी गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से मिली भगत कर आराजी नम्बर 346 से लगती हुई रास्ते की भूमि पर आबादी भूमि का पट्टा जारी करवा लिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। विवादित पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 जो अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है वो रास्ते की भूमि पर स्थित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा ने बिना जांच पड़ताल किए निगराकारगण के स्वामित्व एवं उपयोग-उपभोग के रास्ते की भूमि पर पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 को गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया जो कि निः शुल्क जारी किया है जबकि गैर निगराकार निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र ही नहीं था। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल कायम नहीं की, मौका निरीक्षण नहीं किया और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र/उजरदारी नोटिस जारी किया सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से करते हुए तत्कालीन सरंपच ने गैर निगराकार संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से यह निः शुल्क पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकारगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया जिसके अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पत्रावली में उपलब्ध पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.02.1983 की प्रति का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा उक्त पट्टा अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों, लघु सीमान्त कृषक को आबादी भूमि मे से निः शुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन का प्रपत्र के तहत निः शुल्क जारी किया गया है।

राज. पंचायती राज नियम, 1996 नियम 158 के अनुसारः-''पंचायत अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, को ग्रामीण आबादी में 150 वर्ग गज आबादी, भूमि का मुफ्त आवंटन भी कर सकती है।'' लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जो पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 को जारी किया गया है उस पर पट्टे का कोई नाप अंकित नहीं है तथा पत्रावली में उपलब्ध पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या पट्टे पर पट्टा जारी करने वाले एवं जिसे जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर भी अंकित नहीं होना प्रतीत होता है। गैर निगराकार संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र होने की पुष्टि होती हो।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, भदेसर ने ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख उपलब्ध नहीं होने का अंकन करना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटन से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों/नियुक्त पंचों द्वारा पर्चा मौका एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही निः शुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर के पत्रांक 37 दिनांक 19.04.2024 के संलग्न ग्राम पंचायत के पत्रांक/SPL/123/09 दिनांक 1204.2024 का अवलोकन किया जिसमें सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, लेसवा ने पट्टा संख्या 9278 दिनांक 14.07.1983 से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताते हुए जिस स्थान का पट्टा संख्या 9278 गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है वह आम रास्ता होना बताया है।

Web Copy - Not Official

इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को विधि-विरूद्ध निः शुल्क पट्टा जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाई है तथा गैर निगराकार संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र होने की पुष्टि होती हो। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा आम रास्ते पर जारी होना बतया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 14.07.1983 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 9278 दिनांक 14.07.1983 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)